SHRI ABIR RANJAN BISWAS (West Bengal): Sir, I associate myself with the issue raised by the hon. Member.

Welfare of street children

डा. अमी याज्ञिक (गुजरात): सभापति महोदय, आपने मुझे एक महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत धन्यवाद। मेरे हिसाब से मैं एक महत्वपूर्ण ही नहीं, बल्कि बहुत दुखद प्रश्न लेकर यहां आई हूं। महोदय, सड़क पर जो बच्चे रहते हैं, मैं सदन में उनके बारे में बात करना चाहती हूं।

सर, हम लोग बड़े-बड़े पुल बनाने में, बड़ी-बड़ी सड़कें बनाने में और बड़े-बड़े मॉल बनाने में यह भूल ही गए हैं कि इन सड़कों पर जो बच्चे हैं, वे सुबह कहां से आ जाते हैं और रात को कहां चले जाते हैं। यह जो invisible factor बन चुका है, उसको visible बनाने के लिए मैं इस सदन में ज़ीरो ऑवर में एक अपील करने आई हूं।

सर, ये बच्चे आते हैं, जैसे ही ट्रैफिक लाइट पर गाड़ी रुकती है, वे हमारी गाड़ी के कांच साफ करते हैं। उन्हें यह अपेक्षा रहती है कि उन्हें कुछ पैसे मिल जाएं। वे बच्चे काम करने के लिए आते हैं और जो ये काम नहीं कर सकते, जिनमें थोड़ी खुमारी होती है, वे भीख मांगने लगते हैं। कोई ठेले पर काम करता है। ये बच्चे हैं, ये हमारे देश के स्ट्रीट चिल्ड्रन हैं और ये स्ट्रीट चिल्ड्रन हर राज्य में हैं, हर शहर में हैं। सुप्रीम कोर्ट में एक सुओ-मोटो पिटिशन हुई। एनसीपीसीआर, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स ने बताया कि इस राज्य में इतने बच्चे हैं, इस शहर में इतने बच्चे हैं, परंतु इसका क्या हल निकल सकता है, यह नहीं बताया जा रहा है।

सर, मैं सदन में सब पार्लियामेंटेरियंस से अपील कर रही हूं, सरकार को बाद में अपील करूंगी कि वह एक डेटा बनाये, क्योंकि इनका कहीं कोई डेटा नहीं है। सरकार के पास भी इनका कोई डेटा नहीं है। एनजीओज़ के पास डेटा है, परंतु उसमें डिस्क्रिपेन्सीज़ हैं। अगर यह डेटा उपलब्ध होता है, तो कोई एनलाइटन्ड नागरिक इस डेटा की मदद लेकर कुछ काम कर सकता है, इसलिए सरकार इनका डेटा बनाये।

महोदय, आप खुद बहुत दयावान हैं, मैंने आपमें करुणा देखी है। मैं आपके जिरये इस सदन में कहना चाहती हूं कि हर पार्लियामेंटेरियन इनसे जुड़ जाए। ये बच्चे, जो सड़कों पर रहते हैं, ये सड़क को माता समझते हैं, सड़क को पिता समझते हैं, भाई-बहन समझते हैं, इन बच्चों को हम लोग रीहैबिलिटेट कैसे करें, उन्हें मेनस्ट्रीम में लाकर अपने बच्चों की तरह कैसे बात करें, इसके लिए हर पार्लियामेंटेरियन इनसे जुड़ जाए, इसमें इस पार्टी और उस पार्टी की बात न करे, हम इस देश के नागरिक हैं, हम देश और राष्ट्र की बात तभी कर सकते हैं। बच्चे भविष्य में हमारे देश के नागरिक होने वाले हैं। हमारे ये बच्चे कुछ कह नहीं सकते, कुछ बोल नहीं सकते, वे पिटिशन नहीं डाल सकते, वे मंत्री जी को कागज़ नहीं दे सकते, वे यहां आकर कुछ कह नहीं सकते, उनको पता नहीं है कि कहां जाना है।

सर, इन बच्चों के लिए मैं आज सदन में खड़ी हुई हूं, इन बच्चों को देखकर हमें हमेशा लगाना चाहिए कि ये वंचित हैं, ये हमारे बच्चों की तरह नहीं हैं, तो मैं इनके लिए क्या कर सकता हूं या कर सकती हूं। महोदय, हम सभी को इस टॉपिक को बहुत सीरियसली लेना चाहिए, इसलिए मैंने यह मुद्दा सदन में उठाया है, धन्यवाद।

श्री सभापति : धन्यवाद डा. अमी याज्ञिक जी।

श्री शक्तिसिंह गोहिल (गुजरात) : महोदय, मैं माननीय सदस्या द्वारा उठाये गये विषय से स्वयं को सम्बद्ध करता हूं।

श्री राजमणि पटेल (मध्य प्रदेश) : महोदय, मैं भी माननीय सदस्या द्वारा उठाये गये विषय से स्वयं को सम्बद्ध करता हूं।

श्री विशम्भर प्रसाद निषाद (उत्तर प्रदेश) : महोदय, मैं भी माननीय सदस्या द्वारा उठाये गये विषय से स्वयं को सम्बद्ध करता हूं।

श्रीमती झरना दास बैद्य (त्रिपुरा) : महोदय, मैं भी माननीय सदस्या द्वारा उठाये गये विषय से स्वयं को सम्बद्ध करती हूं।

श्रीमती शांता क्षत्री (पश्चिमी बंगाल) : महोदय, मैं भी माननीय सदस्या द्वारा उठाये गये विषय से स्वयं को सम्बद्ध करती हूं।

श्रीमती छाया वर्मा (छत्तीसगढ़) : महोदय, मैं भी माननीय सदस्या द्वारा उठाये गये विषय से स्वयं को सम्बद्ध करती हूं।

श्रीमती फूलो देवी नेतम (छत्तीसगढ़): महोदय, मैं भी माननीय सदस्या द्वारा उठाये गये विषय से स्वयं को सम्बद्ध करती हूं।

SHRI G.C. CHANDRASHEKHAR (Karnataka): I also associate myself with the Zero Hour mention made by the hon. Member.

SHRI NEERAJ DANGI (Rajasthan): I also associate myself with the Zero Hour submission made by the hon. Member.

DR. KANIMOZHI NVN SOMU (Tamil Nadu): I also associate myself with the Zero Hour submission made by the hon. Member.

SHRI M. SHANMUGAM (Tamil Nadu): I also associate myself with the Zero Hour submission made by the hon. Member.

SHRI KANAKAMEDALA RAVINDRA KUMAR (Andhra Pradesh): I also associate myself with the Zero Hour submission made by the hon. Member.

DR. L. HANUMANTHAIAH (Karnataka): I also associate myself with the Zero Hour submission made by the hon. Member.

SHRI P. BHATTACHARYA (West Bengal): I also associate myself with the Zero Hour submission made by the hon. Member.

SHRI BINOY VISWAM (Kerala): I also associate myself with the Zero Hour submission made by the hon. Member.

MS. DOLA SEN (West Bengal): I also associate myself with the Zero Hour submission made by the hon. Member.

SHRIMATI JAYA BACHCHAN (Uttar Pradesh): I also associate myself with the Zero Hour submission made by the hon. Member.

DR. FAUZIA KHAN (Maharashtra): I also associate myself with the Zero Hour submission made by the hon. Member.

SHRIMATI VANDANA CHAVAN (Maharashtra): I also associate myself with the Zero Hour submission made by the hon. Member.

SHRI BIKASH RANJAN BHATTACHARYYA (West Bengal): I also associate myself with the Zero Hour submission made by the hon. Member.

PROF. MANOJ KUMAR JHA (Bihar): I also associate myself with the Zero Hour submission made by the hon. Member.

DR. SANTANU SEN (West Bengal): I also associate myself with the Zero Hour submission made by the hon. Member.

SHRI JOHN BRITTAS (Kerala): I also associate myself with the Zero Hour submission made by the hon. Member.

THE LEADER OF THE OPPOSITION (SHRI MALLIKARJUN KHARGE): I also associate myself with the Zero Hour submission made by the hon. Member.

DR. AMAR PATNAIK (Odisha): I also associate myself with the Zero Hour submission made by the hon. Member.

SHRI ABIR RANJAN BISWAS (West Bengal): Sir, I also associate myself with the issue raised by the hon. Member.

Proper implementation of the decision to grant Rs. 20 lakhs loans to Self-Help Groups

SHRI G.V.L. NARASIMHA RAO (Uttar Pradesh): * Thank you for allowing me to speak on the issue of lending up to twenty lakh rupees to women self-help groups without mortgaging any property. Women self-help groups are playing a major role in the area of development. These self-help groups and their performance have become a matter of pride to both the Telugu-speaking States. Women self-help groups from Andhra Pradesh stood number one in the country. Sir, loans were sanctioned to thirty-four lakh groups across the country, out of which eight lakh groups were from Andhra Pradesh itself. When Shri Atal Bihari Vajpayee was the Prime Minister, he supported the self-help groups extensively. The present Chairman of Rajya Sabha, who was the Minister of Rural Development, also encouraged these groups.

My special thanks to Hon. Prime Minister Shri Narendra Modi. In the last seven years, lending to these self-help groups has increased by four times and the entire credit for this goes to him. I thank him for ensuring women empowerment based development. Last year, the Central Government issued an order that collateral-free loans up to twenty lakh rupees can be given to women self-help groups. The Reserve Bank of India has also issued a circular on 9th August, 2021 saying that all the banks, including commercial banks, should sanction collateral-free loans to these groups up to twenty lakh rupees. However, I was informed that the banks are sanctioning not more than ten lakh rupees. The RBI has also said that these loans should be sanctioned without taking any deposit. Sir, the NPA for these loans is very low. In 2014, the NPA for these loans was around 10 per cent but now it has come down to two per cent only. So, there is a need to disburse these loans extensively. My plea is that the Centre should direct the banks to implement the proposal given by the

-

^{*} English translation of the original speech delivered in Telugu.